**संख्या-878/2017/2409/22-2-2017-17(116)/2016**

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

***कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2*** ***लखनऊ: दिनांक 20 नवम्बर, 2017***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, नैनी, इलाहाबाद में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी पवन कुमार उर्फ टमाटर पुत्र स्व0 अशोक कुमार त्रिपाठी, निवासी जनपद-कौशाम्बी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-34013/प्रोबेशन-3/फार्म-ए (एम-02.05.2017) दिनांक 18.09.2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, नैनी, इलाहाबाद में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी पवन कुमार उर्फ टमाटर पुत्र स्व0 अशोक कुमार त्रिपाठी, जो बिदनपुर, थाना-कोखराज, जनपद-कौशाम्बी का रहने वाला है। बन्दी ने दिनांक 31-10-2000 को लगभग 02:30 बजे अपने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर विनोद कुमार त्रिपाठी के विरूद्ध गवाही देकर आजीवन कारावास की सजा दिलाने के कारण हेमलता पत्नी राम प्रकाश पाण्डेय की, बन्दूक से फायर कर हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-936/2000 में भा0द0वि0 की धारा-302/34 के अन्तर्गत मा0 प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 04.03.2004 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 27.11.2012 द्वारा बहाल रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 12.04.2017 तक 16 वर्ष 01 माह 01 दिन की अपरिहार सजा तथा 20 वर्ष 05 माह 04 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का 01 सहअभियुक्त कारागार में निरूद्ध है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की गयी है लेकिन प्रोबेशन बोर्ड की आख्या में यह उल्लेख किया गया है कि बन्दी ने मृतका हेमलता द्वारा मा0 न्यायालय में गवाही देकर सजा दिलाने की रंजिश में 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर हेमलता पत्नी राम प्रकाश पाण्डेय की, बन्दूक से फायर कर हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। जेल रिपोर्ट के अनुसार बन्दी की आयु 43 वर्ष है तथा बन्दी का स्वास्थ्य एवं मानसिक स्थिति संतोषजनक है। पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार बन्दी अपराध करने में अशक्त नहीं है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

अपराध की गम्भीरता एवं पैरोल पर न रहने के दृष्टिगतयू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी पवन कुमार उर्फ टमाटर पुत्र स्व0 अशोक कुमार त्रिपाठी को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अत: उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी पवन कुमार उर्फ टमाटर (बन्दी संख्या-25976/के0का0 फतेहगढ़) पुत्र स्व0 अशोक कुमार त्रिपाठी, निवासी जनपद-कौशाम्बी के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)

संयुक्त सचिव।

संख्या-878/2017/2409(1)/22-2-2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, कौशाम्बी।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, नैनी, इलाहाबाद/केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़।

3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)

संयुक्त सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

**शासनादेश सख्ंया-878/2017/2409/22-2-2017-17(116)/2016**

**दिनांक 20 नवम्बर, 2017 का संलग्नक**

**<u>सरकार के आदेश</u>**

केन्द्रीय कारागार, नैनी, इलाहाबाद में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी पवन कुमार उर्फ टमाटर पुत्र स्व0 अशोक कुमार त्रिपाठी, जो बिदनपुर, थाना-कोखराज, जनपद-कौशाम्बी का रहने वाला है। बन्दी ने दिनांक 31-10-2000 को लगभग 02:30 बजे अपने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर विनोद कुमार त्रिपाठी के विरूद्ध गवाही देकर आजीवन कारावास की सजा दिलाने के कारण हेमलता पत्नी राम प्रकाश पाण्डेय की, बन्दूक से फायर कर हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-936/2000 में भा0द0वि0 की धारा-302/34 के अन्तर्गत मा0 प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 04.03.2004 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 27.11.2012 द्वारा बहाल रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 12.04.2017 तक 16 वर्ष 01 माह 01 दिन की अपरिहार सजा तथा 20 वर्ष 05 माह 04 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का 01 सहअभियुक्त कारागार में निरूद्ध है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की गयी है लेकिन प्रोबेशन बोर्ड की आख्या में यह उल्लेख किया गया है कि बन्दी ने मृतका हेमलता द्वारा मा0 न्यायालय में गवाही देकर सजा दिलाने की रंजिश में 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर हेमलता पत्नी राम प्रकाश पाण्डेय की, बन्दूक से फायर कर हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। जेल रिपोर्ट के अनुसार बन्दी की आयु 43 वर्ष है तथा बन्दी का स्वास्थ्य एवं मानसिक स्थिति संतोषजनक है। पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार बन्दी अपराध करने में अशक्त नहीं है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं पैरोल पर न रहने के दृष्टिगतयू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी पवन कुमार उर्फ टमाटर पुत्र स्व0 अशोक कुमार त्रिपाठी को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in